अपील डिक्री/टी.ए./6099/2002/उदयपुर
भैरा बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.3.2019	खण्ड पीठ श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य उपस्थित– (1) वकील अपीलांट श्री पूर्णाशंकर दशोरा (2) वकील रेस्पोडेन्ट्स श्री सम्पतलाल बोहरा, श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड व श्रीमती पूनम माथुर उपस्थित **निर्णय** 1. बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–10–2002 की निम्न Finding से अपीलांट्स व्यथित हैः– ''यदि ऐसा कब्जा बिना खातेदार की सहमति के हस्तान्तरण के है, तो वह रा.क.अ. की धारा 183 ''बी'' के तहत बेदखली के काबिल है, जैसाकि स्वयं रेस्पो.7 लगायत 10 ने बताया कि उन्होंने इस आशय का एक प्रार्थना–पत्र अधि0न्या0 में बेदखली हेतु प्रस्तुत कर रखा है।'' विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दे दिए जाए कि उक्त Finding से प्रभावित हुए बगैर धारा 183 ''बी'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के आवेदन पत्र का निस्तारण करे। इसके अलावा वे इस अपील में कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। 2. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स को उक्त प्रकार का अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। 3. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया। 4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को एवं अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की अनापत्ति के देखते हुए अपील अपीलांट्स इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि विचारण न्यायालय आक्षेपित निर्णय में दी गई उक्त Finding से प्रभावित हुए बगैर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 183 ''बी'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के आवेदन पत्र का विधिनुसार निस्तारण करेगी। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (राजेन्द्र कुमार) सदस्य (मुकेश कुमार शर्मा) अध्यक्ष	